राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1920/2013

गोविन्द कुमार व्यास –अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
2. जिला आयुर्वेद अधिकारी, भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की वर्ष 1994–95 एवं 1996–97 की एसीपी में प्रतिकूल प्रविष्टिया है, जिन्हें हटाने के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जो अभ्यावेदन आदेश दिनांक 05.04.1999 के द्वारा खारिज किया गया। अपीलार्थी की एसीपी में प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 30.11.1999 से दिया जाना चाहिए था। वह 30.11.2001 से दिया गया था। इस प्रकार द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 2 वर्ष के लिये आगे किया गया है। इसके पश्चात अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ जो दिनांक 30.11.2008 से दिया जाना चाहिए था। उसे भी आगे किया गया है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 30.11.2008 से व द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 30.11.1999 से दिया जाए एवं समस्त लाभ दिये जाए। अपीलार्थी ने यह भी मांग की है कि अपीलार्थी की एसीपी में दर्ज वर्ष 1994–95 एवं 1996–97 की प्रतिकूल प्रविष्टियों को भी हटाया जाए।
2. प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि राज्य सरकार जरिये वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार चयनित वेतनमान हेतु कर्मचारियों की सेवा संतोषजनक होनी आवश्यक है, क्योंकि चयनित वेतनमान पदोन्नति पद का वेतनमान होता है उसके लिये कार्मिक का परीक्षण पदोन्नति की पात्रता के समतुल्य किया जाता है। अपीलार्थी को नियमानुसार चयनित वेतनमान प्रदान किया जा रहा है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी के वर्ष 1994–95 एवं 1996–97 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठि होने से निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के पत्र दिनांक 05.4.1999 के अनुसार

प्रतिकूल प्रविष्ठि यथावत रखी गयी है। उक्त प्रतिकूल प्रविष्ठि अपीलार्थी के प्रतिवेदन प्राप्ति एवं प्रतिवेदक की टिप्पणी के पश्चात् यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30–11–1981 होने से उसे 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 30–11–2001 को निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के आदेश दिनांक 10–12–2002 को वेतन श्रृंखला 6500–10500 में स्वीकृत किये जाने पर 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 30–11–2001 से किया गया है। चूंकि अपीलार्थी के वर्ष 1994–95 एवं 1996–97 में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठि होने से 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 30–11–1999 के स्थान पर दो वर्ष पश्चात् दिनांक 30–11–2001 से दिया गया, जिसका इन्द्राज सेवा पुस्तिका किया गया है। अपीलार्थी के राज्य सेवा में 27 वर्ष दिनांक 30–11–2008 को पूर्ण होने पर 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 30–11–2008 से निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 12–11–2009 से स्वीकृत किये जाने से अपीलार्थी को दिनांक 30–11–2008 से 27 वर्षीय चयनित वेतनमान यथा समय स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान प्रतिकूल प्रविष्ठि के कारण 2 वर्ष पश्चात् एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान यथा समय निदेशालय से जारी स्वीकृति के अनुसार ही दिये गये हैं। अपीलार्थी के राज्य सेवा में 27 वर्ष दिनांक 30.11.2008 को पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान दिनांक 30–11–2008 से निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के आदेश दिनांक 12–11–2009 से स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा एनेक्जर–5 अपील के पृष्ठ सं. 15–16 सेवा पुस्तिका के सम्बन्धित पृष्ठों की जो फोटो प्रति लगायी है वह सही नहीं है। इसमें सहवन से 22450/– अंकन हो गया है। यह कार्मिक को निजी पत्रावली का पृष्ठ है। अपीलार्थी को दिनांक 30–11–2008 से 20450/– पर फिक्स किया गया है

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये अभिकथनों पर विचार किया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्ठियों को हटाये जाने का प्रश्न है, तो हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण Tayyab Ali Vs State of Rajasthan 1988(2)WLN255 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

"We are therefore, of the opinion that an adverse entry in the Annual Performance Appraisal Report or any order rejecting representation against the same is not included within the ambit of Sub-clause (v) of Clause (f) of Section 2 of the Act; and, therefore, an appeal to the Tribunal merely against such an adverse entry or an order rejecting the representation against the same does not lie under the Act. We are also of the opinion that even though such an adverse entry or an order

rejecting the representation against the same by itself is not appealable to the Tribunal as already stated, yet the correctness thereof can be assailed by the Government Servant while challenging any consequent order based on or influenced by it relating, to any of the matters specified in the several sub-clauses of Clause (f) of Section 2; and in that event the limitation for appeal to the Tribunal will be reckoned from the date of the consequent order and not the date of the adverse entry or the order rejecting the representation against it. We answer the above quoted question accordingly."

4. उपर्युक्त न्यायिक दृश्टांत को दृश्टिगत रखते हुए हम यह पाते है कि प्रतिकूल प्रविष्ठियों के संबंध में इस अधिकरण को विचारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जहां तक अपीलार्थी के चयनित वेतनमान का प्रश्न है, तो स्वीकृत रूप से अपीलार्थी के वर्ष 1994—95 एवं 1996—97 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठियां होने के कारण अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 2 वर्ष आगे करते हुए दिनांक 30.11.1999 के स्थान पर 30.11.2001 से दिया गया है, जो अपीलार्थी की सेवाभिलेख को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि होना हम नहीं पाते हैं। जहां तक अपीलार्थी के 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का प्रश्न है, इस बारे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान यथासमय 30.11. 2008 से स्वीकृत किया गया है। ऐसें में तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ अपीलार्थी को देय तिथि से प्राप्त हुआ है।

5. अतः हम इस अपील में कोई कोई बल नहीं पाते है। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)